n

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ....94/2022........ दिनांक ....23/3/2022........

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम...धारायें...
(iii) अधिनियम...धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या........437 ~~337~~........ समय ....1:00 PM........
(ख) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक :– 22.03.2022 समय ....06.55 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– पिलानी जिला झुंझुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से उत्तर–पूर्व दिशा में करीब 115 किलोमीटर
(ब) पता :– भगतसिंह सर्किल के पास चिड़ावा रोड स्थित स्वास्तिक मेडिकल स्टोर पिलानी
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री समुन्द्रसिंह ....
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री भगवत सिंह ....
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 37 वर्ष ....
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव छापड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री दलीप कुमार पुत्र श्री सन्तासिंह, उम्र–52 वर्ष, जाति जाट, निवासी अच्छापुर तहसील राजगढ जिला चूरू हाल एएसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 25,000 रूपये.........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 17.03.2022 को समय 8.25 एएम पर परिवादी समुन्द्रसिंह से उसके मोबाईल नम्बर 7062501113 पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक जाकिर अख्तर द्वारा कॉल करने पर परिवादी ने पुलिस चौकी पिपली के एएसआई श्री दलीप कुमार द्वारा रिश्वत मांगने तथा एएसआई को रिश्वत नहीं देकर उसे रंगे हाथों पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक को मामलें में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवादी के चाहेनुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.03.2022 को समय 7.00 एएम पर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री दलीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर पिलानी रवाना किया गया। उसी दिन शाम के समय श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक की परिवादी से वार्ता करवाई तथा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन होने की कही। परिवादी श्री समुन्द्र सिंह ने दिनांक 22.03.2022 को सुबह जल्दी रिश्वती राशि देने की कही, जिस पर दिनांक 22.03.2022 को

कार्यालय सहायक अभियंता सीएसडी–तृतीय अ.वि.वि.नि.लि. सीकर से श्री कैलाशचन्द मुण्डोतिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सुनिल जांगिड वाणिज्यिक सहायक–द्वितीय को तलब कर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री रामनिवास कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों से समय करीब 7.30 एएम पर सीकर से रवाना होकर समय 9.30 एएम पर पिलानी पहूँचा। श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया गया।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

<u>22.03.2022</u>

9.30 एएम इस समय कस्बा पिलानी जिला झुंझुनूं बस स्टेण्ड के पास मुख्य सड़क पर श्री दलीप कुमार कानि. एवं परिवादी श्री समुन्द्र सिंह उपस्थित मिले। परिवादी श्री समुन्द्र सिंह ने कस्बा पिलानी में भगतसिंह सर्किल के पास अपने मामाजी रणवीर सिंह पुत्र श्री रामावतार सिंह के मकान पर मुकिम रहकर अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के उक्त मामाजी के मकान पर पहूँचा जहाँ श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि " कल दिनांक 21.03.2022 को मैने पिलानी पहूँच परिवादी श्री समुन्द्र सिंह से सम्पर्क किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाकर रिश्वत के मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पिलानी से रवाना होकर पुलिस चौकी पिपली पहूँचे जहाँ मैने परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को दे दिया तथ परिवादी के पुलिस चौकी से बाहर आने पर मैने टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया, समय रात्रि का होने के कारण मै झुंझुनूं में ही मुकिम रहा तथा परिवादी अपने घर चला गया" परिवादी श्री समुन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, उम्र–37 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव छापडा़ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं ने उक्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि " सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी सीकर विषय :– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने हेतु।महोदय, निवेदन है कि गांव छापडा़ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं में मेरी सगी मोसीजी श्रीमती ललीता पत्नी श्री विजयसिंह रहती है। मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता के पुत्र श्री प्रवीण की उनके रिश्तेदारो के बीच में लड़ाई होने पर उनके रिश्तेदारों ने श्री प्रवीण के खिलाफ पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं में मारपीट का मुकदमा करवा दिया, जिसका मुकदमा नम्बर मुझे ध्यान नहीं है। उक्त मुकदमें की तफ्तीश श्री दलीप पुनियां एएसआई पुलिस चौकी पिपली द्वारा की जा रही है। मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता के कहने पर मैने उक्त श्री दलीप कुमार एएसआई से बातचीत की तो उसने मुकदमें में मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता के एक लडके श्री प्रवीण को छोडकर शेष मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता एवं उसके एक पुत्र श्री नगेन्द्र सिंह एवं मोसीजी श्रीमती ललीता की पुत्री तथा बेटे की बहू को मुल्जिम नहीं बनाने के लिये मेरे से 50000 रूपये रिश्वत के देने की कही, तो मैने मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता को यह बात बताई तो मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता ने मुझे मामले में पैरवी करने की कहते हुये उक्त श्री दलीप कुमार एएसआई को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने की कही। मै व मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता उक्त श्री दलीप कुमार एएसआई को रिश्वत नहीं देने चाहते है और उसको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहते है। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करे। एसडी–समुन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, उम्र–37 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव छापडा़ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं मोबाईल नम्बर 7062501113 दिनांक 22. 03.2022, मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री समुन्द्रसिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये श्री दलीप कुमार एएसआई पुलिस चौकी पिपली जिला झुंझुनूं से कोई उधार लेनदेन एवं किसी प्रकार की कोई रजीश नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि "कल मैने मेरी मौसी के कहने पर पुलिस चौकी पिपली में जाकर श्री दलीप कुमार एएसआई से वार्ता की तो उसने मुकदमें में प्रवीण का नाम रखने एवं शेष अन्य को मुल्जिम नहीं बनाने के बदले में मेरे से 30,000 रूपये देने की कहते हुये लास्ट में 25,000 रूपये रिश्वत के लेने पर सहमत हुआ तथा रिश्वती राशि आज ही देने की कही है" टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।